उत्तर प्रदेश शासन
सतर्कता अनुभाग-4
संख्या-लो0आ0-234//39-4-2024-15(41)/2015
लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2024

विज्ञप्ति

लोक आयुक्त संगठन, उ०प्र० के अन्तर्गत उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत उप लोक आयुक्त के रिक्त 01 पद पर चयन हेतु अर्ह एवं इच्छुक भारत के नागरिकों से संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक **18 अक्टूबर, 2024** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2- अर्हता –

उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-4 में निम्न प्राविधान है:-

लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त द्वारा कोई अन्य पद ग्रहण न करना :-

लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तद्नुसार लोक आयुक्त या, यथास्थिति उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व-

(क) यदि वह पदासीन न्यायाधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग पत्र देगा, या

(ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा, या

(ग) यदि वह कोई कारोबार कर रहा है तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा, या

(घ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा।

3- पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें –

उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-5 (यथासंशोधित 2024) में निम्न प्राविधान है :-

5(1) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पाँच वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारण करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद भार ग्रहण न कर लेः

5(4) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

5(5) लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन यदि कोई हो और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाए :-

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में-

(क) लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों का ध्यान रखा जायेगा।

(ख) उप लोक आयुक्त की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान रखा जायेगा :-

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को देय भत्ते और पेंशन में यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-21 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 के नियम-5 सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि "उप लोक आयुक्त के अन्य भत्तें और सेवा की शर्तें, जिसमें किराया मुक्त सरकारी आवास, या मकान किराया भत्ता वाहन या वाहन भत्ता, चिकित्सीय के लिए सुविधाएँ यात्रा और अन्य भत्ते, सामान्य भविष्यनिधि, उपादान पारिवारिक पेंशन, महँगाई भत्ता, निवृत्तोतर अवकाश नकदीकरण और चिकित्सा, और अन्य सुविधाएँ जिनके लिए अधिनियम या इस नियमावली में स्पष्ट रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, यथावत वहीं होंगी जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पर तत्समय प्रयोज्य हों।"

4- <u>आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश-</u>

(1) प्रारूप में जो स्तम्भ लागू न हों, उनके आगे <u>"लागू नहीं"</u> अंकित कर दिया जाये। कोई भी स्तम्भ यथासम्भव रिक्त न छोड़ा जाय एवं उस पर अपने हस्तलेख में यथास्थान अपना हस्ताक्षर अंकित किया जाय ।

(2) आवेदन पत्र यथासम्भव अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हिन्दी (देवनागरी लिपि) में भरा जाये।

(3) सम्बन्धित विवरण की पुष्टि में यथासम्भव आवेदन-पत्र के क्रमांक- 9- श्रेणी, 10- शैक्षिक योग्यता, 16- योग्यता/अनुभव/विशिष्ट ज्ञान/विशेषज्ञता, 17- विभागीय/सतर्कता जॉच की अद्यतन स्थिति/परिणाम, 18- प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, 19- सेवा में दिये गये लघु/दीर्घ दण्ड का विवरण, 21- भारत सरकार/राज्य सरकार से सम्बिन्धत संस्था में कार्यरत होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि की स्वप्रमाणित स्पष्ट छायाप्रतियॉ संलग्न की जायें।

(4) आवेदन-पत्र भरते समय उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) की धारा-4 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता का ध्यान रखा जाये।

(5) उक्त विज्ञप्ति तथा आवेदन का प्रारूप उ०प्र० शासन के गृह विभाग की वेबसाइट http://uphome.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(6) लोक आयुक्त, उ0प्र0 की वेबसाइट http://lokayukta.up.nic.in पर उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 यथासंशोधित उपलब्ध है, जिसका अवलोकन उक्त वेबसाइट पर किया जा सकता है।

(7) उक्त निर्देशों सहित आवेदन-पत्र एक बन्द लिफाफे में अपर मुख्य सचिव, सतर्कता अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ पिन-226001,को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की **अंतिम तिथि दिनांक 18 अक्टूबर, 2024** है। उक्त नियत तिथि/समय में किसी भी कार्य दिवस में सायं 06:00 बजे तक स्वयं द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से **सतर्कता अनुभाग-4, कक्ष संख्या-305, तृतीय तल, ब्लाक-सी, लोक भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ** में सीधे प्राप्त कराये जा सकते है। उक्त नियत तिथि/समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सतर्कता अनुभाग-4 का दूरभाष संख्या-0522-2227025 है।

संलग्नक-आवेदन-पत्र का प्रारूप।

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति/चयन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट आकार का नवीनतम छायाचित्र

(आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया सभी निर्देश अवश्य पढ़ लें)

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम:
   (क) हिन्दी में:
   (ख) अंग्रेजी में (In Capital letters):
2. लिंगः (कृपया टिक करें)

पुरुष		महिला		अन्य	

3. पिता/पति का पूरा नाम:
4. जन्म तिथि:
5. स्थायी पता:
6. वर्तमान पता:
7. सम्पर्क सूत्र:
   (क) दूरभाष संख्या एस०टी०डी० कोड सहित:
   (ख) मोबाइल नम्बर:
   (ग) फैक्स नम्बर:
   (घ) ई-मेल:
8. पैन नम्बरः
9. राष्ट्रीयता:
10. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
11. शैक्षिक योग्यता:

परीक्षा/उपाधि	वर्ष	विषय	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3	4
हाई स्कूल			

इण्टरमीडिएट			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
प्राविधिक अर्हतायें/शोध कार्य			
अन्य कोई अर्हता (यदि कोई हो) का विवरण			

12. भाषा का ज्ञान: (कृपया टिक करें)

हिन्दी		अंग्रेजी		अन्य	

13. वैवाहिक प्रास्थितिः

14. स्वास्थ्य की प्रास्थितिः

15. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत हैं या रहे हैं, तो उसका विवरणः

क्र. स.	पद का नाम/नियुक्ति का स्वरूप	सेवायोजक का नाम एवं पता	प्रथम नियुक्ति की तिथि	अंतिम नियुक्ति का स्थान	अंतिम नियुक्ति के समय वेतन/वेतनमान	पद त्याग की स्थिति में पद छोड़ने की तिथि/कारण	कार्य की प्रकृति/अनुभव
	1	2	3	4	5	6	7
1.							
2.							

16. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था से अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो चुका है, तो,

(क) सेवानिवृत्ति की तिथिः

(ख) जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पदनाम एवं वेतनमानः

(ग) सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक प्राधिकारी/विभाग का विवरण (नाम/पता/दूरभाष/मोबाइल/फैक्स नम्बर/ई-मेल):

17. उप लोकायुक्त पद की अपेक्षाओं को पूरा करने की योग्यता/अनुभव/विशिष्ट ज्ञान/विशेषज्ञता (यदि कोई हो) का विवरण:

(क) भ्रष्टाचार निवारण, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा/बैंकिंग सहित वित्तीय मामले, विधि एवं प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवकों के अधिष्ठान संबंधी नीतियों इत्यादि के क्रियान्वयन का प्रायोगिक/व्यावहारिक ज्ञान का विवरण:

(ख) अन्य उपलब्धियाँ:

18. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत है या रहा है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई विभागीय जॉच/सतर्कता जॉच प्रचलित है या रही है, तो उसकी अद्यतन स्थिति/अंतिम परिणाम:

19. (क) यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी आपराधिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई हो या पंजीकृत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण:

(ख) यदि अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरूद्ध या अर्थदण्डित किया गया है, तो उसका पूर्ण विवरण:

20. यदि अभ्यर्थी को कभी किसी राजकीय सेवा/अन्य सेवा में लघु/दीर्घ दण्ड दिया गया हो, तो उसका पूर्ण विवरण:

21. विगत 10 वर्षों में जिन-जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवास किया गया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाय:

22. यदि आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत हैं तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाय:

23. अन्य कोई विशिष्ट विवरण (जो अभ्यर्थी देना चाहें):

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं...आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री/श्रीमती...
यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में अंकित तथ्य मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण हैं और यदि उसमें कोई असत्य विवरण पाया जाये अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया पाये जाये अथवा अधूरा पाया जाने पर मुझे अपात्र समझा जाये और यदि चयन हो गया हो तो सेवा से पदच्युत कर दिया जाये।

स्थान :	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक :	नाम
पता